

कार्यालय कलेक्टर(भू-अर्जन शाखा)जांजगीर-चांपा(छ.ग.)

(सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 अध्याय 2 की धारा 4 ख अंतर्गत)

क्र	मैनुअल	सूचना
1.	अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य	<p>कलेक्टर जांजगीर-चांपा - डा. एस भारतीदास प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा- श्री अरुण कुमार खलखो (डिप्टी कलेक्टर जांजगीर-चांपा) कार्यक्षेत्र- सम्पूर्ण जिला जांजगीर-चांपा कृत्य एवं कर्तव्य - शासन के जनकल्याणकारी योजना के तहत जिला जांजगीर-चांपा के अंतर्गत उद्योग प्रयोजन हेतु, एवं पुल-पुलिया, सड़क, बैराज, नहर, एनीकट आदि परियोजनाओं के निर्माण हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 के तहत निजी भू-धारकों के निजी भूमि का अर्जन की कार्यवाही एवं आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016 के तहत निजी भू-धारकों के निजी भूमि का क्रय करने की कार्यवाही की जाती है।</p>
2.	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य।	<p>कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा के शक्तियां एवं कर्तव्य:- जिले में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों के बीच अनुशासन बनाये रखना तथा भूमि अर्जन/भूमि क्रय नीति की प्रक्रिया का समयावधि में पालन करना।</p> <p>डिप्टी कलेक्टर के शक्तियां एवं कर्तव्य:- कलेक्टर महोदय द्वारा दिये गये आदेशों एवं निर्देशों का पालन करना एवं अधीनस्थ कर्मचारियों से पालन कराना।</p> <p>अधीनस्थ कर्मचारी के शक्तियां एवं कर्तव्य :- कलेक्टर महोदय एवं प्रभारी अधिकारी के निर्देशों के अनुरूप संबंधित कार्यों के संपादन हेतु उत्तरदायी है।</p>
3	अपने विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	<p>कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा :- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिनियमों/नियमों तथा अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही करना एवं शासन के जनकल्याणकारी योजना के तहत जिला जांजगीर-चांपा के अंतर्गत निजी भू-धारकों के निजी भूमि का अर्जन की कार्यवाही एवं आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016 के तहत निजी भू-धारकों के निजी भूमि का क्रय करने की कार्यवाही समय-सीमा में पालन करना।</p> <p>डिप्टी कलेक्टर जांजगीर-चांपा:- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिनियमों/नियमों तथा अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही करने एवं शासन के जनकल्याणकारी योजना के तहत जिला जांजगीर-चांपा के अंतर्गत निजी भू-धारकों के निजी भूमि का अर्जन की कार्यवाही एवं आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016 के तहत निजी भू-धारकों के निजी भूमि का क्रय करने की कार्यवाही समय-सीमा में करने हेतु कलेक्टर महोदय के समक्ष नस्ती पेश करना एवं आदेशानुसार पालन करना।</p> <p>शाखा लिपिक:- संबंधित नस्तियों को प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना एवं निर्देशों का पालन करना।</p>

A

4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	शासन द्वारा प्राप्त नियम, निर्देशों के अनुरूप पालन किया जाता है एवं कार्यालय में कार्यरत प्रभारी अधिकारी एवं कर्मचारियों के संबंध में राज्य शासन द्वारा प्रतिपादित नियम, विनियम एवं अनुदेश लागू होते हैं।			
5.	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश और अभिलेख।	शासन के जनकल्याणकारी योजना के तहत जिला जांजगीर-चांपा के अंतर्गत निजी भू-धारकों के निजी भूमि का अर्जन की कार्यवाही एवं आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016 के तहत निजी भू-धारकों के निजी भूमि का क्रय करने की कार्यवाही की प्रक्रिया का पालन करने हेतु प्रयोग किये गये नियम विनियम अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख निम्नानुसार है:- 01 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 02 आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016			
6	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किए गए हैं अथवा उनके नियंत्रण में हैं।	निजी भू-धारकों के निजी भूमि का अर्जन की कार्यवाही एवं आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016 के तहत निजी भू-धारकों के निजी भूमि का क्रय करने की कार्यवाही से संबंधित उपरोक्त सभी दस्तावेजों का अधिनियम एवं नीति/निर्देशों के तहत पालन किया जाता है।			
7	ऐसी व्यवस्था का विवरण जो उसकी नीति निर्माण अथवा उनके कार्यान्वयन के संबंध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है।	भू-अर्जन अधिनियम-2013 के तहत गठित भू-अर्जन प्रकरणों में सिंचाई परियोजनाओं को छोड़ कर अन्य परियोजना हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु दल गठित कर प्रतिवेदन लिया जाता है। किन्तु आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016 के तहत भूमि क्रय हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन के प्रावधान नहीं है।			
8	बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण, जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी, सलाह के प्रयोजन के लिए की गई हो, और यह विवरण की क्या इन बोर्डों, परिषदों समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है, अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ है।	हां			
9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निदेशिका।	क्र	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नंबर
		1.	डॉ.एस.भारतीदास	कलेक्टर	07817222208
		2.	श्री अरुण कुमार खलखों	डिप्टी कलेक्टर	9406443295
		3.	श्री गोपाल राव पिम्पलापुरे	सहा.ग्रेड-2	9425542690
		4.	श्रीमति रुषा किरण बघेल	स्टेनो टायपिस्ट	9669908713

A

10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा विनियमों में यथा उपलब्ध क्षतिपूर्ति की प्रणाली सहित प्राप्त किया गया मासिक परिश्रमिक।	क्र	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम
		1.	श्री अरुण कुमार खलखों	डिप्टी कलेक्टर
		2.	श्री गोपाल राव पिम्पलापुरे	सहा.ग्रेड-2
		3.	श्रीमति उषाकिरण कुर्रे/बघेल	स्टेनो टायपिस्ट
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित परिव्यय और किए गए आहरणों संबंधि रिपोर्ट सामग्री को दर्शाते हुए इसके अभिकरण को आबंटित बजट।	निरंक		
12	आबंटित राशि सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का ढंग और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्योरा।	निरंक		
13	अपने द्वारा मंजूर की गई रियासत, अनुज्ञा पत्र या प्राधिकारी के प्राप्तकत्ताओं का विवरण।	निरंक		
14	अपने पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध अथवा धारित की गई सूचना के संबंध में ब्योरा।	नहीं		
15	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के ब्योरे, जिनमें जनसाधारण के लिए उपलब्ध पुस्तकालय या वाचन-कक्ष के ब्योरे भी सम्मिलित हो।	कलेक्टर कार्यालय जांजगीर के जन सूचना अधिकारी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने पर नियमानुसार शुल्क अदा करने पर जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।		
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां।	क्र	प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम	जनसूचना अधिकारी का नाम एवं पदनाम
		1.	श्री डी.के.सिंह अपर कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा	श्री.एस.अहिरवार अपर कलेक्टर जिला जांजगीर-चांपा
17	अन्य जानकारियां।	निरंक		

डिप्टी कलेक्टर

हेतु/-कलेक्टर जांजगीर-चांपा